



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 647

20 अगस्तवाण, 1928 शकाब्द
गैनी, सोमवार 11 दिसम्बर, 2006

पशुपालन एवं मत्स्य विभाग (पशुपालन)

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2006

संख्या-4 एफ० (1)08/2003-03 अंश प०पा०-2519--झारखण्ड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिरोध अधिनियम 2005 (2005 का 11) में विहित प्रावधानों का सफल कार्यान्वयन हेतु अधिनियम की धारा-2 का प्रयोग करते हुए झारखण्ड सरकार निम्न पदासनों पदाधिकारी को मशम अधिकारी, पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं अपोलोप अधिकारी के रूप में अधिसूचित करती है :-

- (1) "मशम अधिकारी-अधिनियम की धारा-2 उपधारा-(ल) में उल्लिखित मशम अधिकारी, झारखण्ड सरकार में कार्यरत संबंधित अनुमंडल का अनुमंडल पदाधिकारी होंगे।
- (2) "पशु चिकित्सा पदाधिकारी"-अधिनियम की धारा-4 के कार्यान्वयन हेतु झारखण्ड पशुपालन सेवा के वैसे पशु चिकित्सा पदाधिकारी जो झारखण्ड पशुचिकित्सा परिषद् से नियुक्ति हों, तथा झारखण्ड राज्य के किसी पशुचिकित्सालय/प्रखण्ड में सरकार द्वारा पदस्थापित हों, होंगे।

अधिनियम के अन्तर्गत अन्य उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु पशुचिकित्सा पदाधिकारी में हात्स्य झारखण्ड पशुपालन सेवा के वैसे पदाधिकारी जो झारखण्ड पशुचिकित्सा परिषद् से नियुक्ति हों, तथा झारखण्ड सरकार द्वारा किसी अनुमंडल/जिला पशुपालन पदाधिकारी के पद पर आसीन हों, होंगे।

- (3) "अपोलीप अधिकारी"-अधिनियम की धारा-2 की उपधारा-(ड) में उल्लिखित अपोलोप अधिकारी, झारखण्ड सरकार में कार्यरत संबंधित जिला के उपयुक्त होंगे।
- (4) अधिनियम की धारा-8 के अधीन संस्थाओं के स्थापना हेतु "झारखण्ड गो-सेवा आयोग" जो झारखण्ड गो-सेवा आयोग, अधिनियम-2005 (अधिनियम-02, 2006) के अधीन गठित है, को अधिकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश में,

ए०के० सरकार,

सरकार के प्रधान सचिव।

अधीशक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, गैनी द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित
झारखण्ड गजट (असाधारण) 647-300+100-गैनी मुच्छा।